भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2553**

दिनांक 03 जनवरी, 2019 को उत्‍तर के‍ लिए

**बाल तथा महिला तस्करी के विरुद्ध किए गए उपाय**

**2553. श्री संजय सिंहः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तस्करी, बच्चों को भिक्षा मांगने के लिए मजबूर किया जाना, बाल श्रम, वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए बच्चों को मजबूर किया जाना जैसे शोषण से निपटने के लिए राहत, पुनर्वास, कौशल विकास, इस उत्पीड़न से मुक्ति पाने वालों को जीविकोपार्जन के अन्यत्र विकल्प उपलब्ध कराने जैसे कोई उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय के पास मानव तस्करी के शिकार बच्चों और महिलाओं के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पुनर्समायोजन तथा आर्थिक पुनर्स्‍थापन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई कार्य योजना है; और

(ग) यदि हां, तो किए गए उपायों तथा गत तीन वर्षों में इन उपायों के लिए किए गए वर्ष-वार बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ग) : किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 2(14) (2), (8) और (9) के अनुसार ऐसे बच्‍चों को देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों के रूप में माना जाता है जो जेजे अधिनियम के तहत संस्‍थानिक एवं गैर-संस्‍थानिक देखरेख की सुरक्षा जाल की पात्र हैं । जेजे अधिनियम की धारा 54(2) के अनुसार निरीक्षण समितियां कम से कम तीन सदस्‍यों की टीम में तीन माह में कम से कम एक बार आबंटित क्षेत्र में बच्‍चों को रखने वाली सभी सुविधाओं का अनिवार्य रूप से दौरा करेंगी, जिसमें से कम से कम एक सदस्‍य महिला होगी तथा एक सदस्‍य चिकित्‍सा अधिकारी होगा और आगे की कार्रवाई के लिए यथास्‍थिति जिला बाल संरक्षण यूनिटों या राज्‍य सरकार को अपने दौरे के एक सप्‍ताह के अंदर निष्‍कर्षों की रिपोर्ट प्रस्‍तुत करेंगी और धारा 54(3) के अनुसार, निरीक्षण समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्‍तुत किए जाने पर जिला बाल संरक्षण यूनिट या राज्‍य सरकार द्वारा एक माह के अंदर उपयुक्‍त कार्रवाई की जाएगी तथा राज्‍य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्‍तुत की जाएगी । इस प्रकार, अधिनियम के कार्यान्‍वयन की प्राथमिक जिम्‍मेदारी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की है । इसके अलावा, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ऐसे व्‍यक्‍तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है जो किसी गृह के प्रबंधन में होने या कर्मचारी होने पर ऐसे बच्‍चे पर यौन दुरुपयोग करता है । केंद्र सरकार बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) (तत्‍कालीन बाल संरक्षण स्‍कीम) चला रही है और अन्‍य बातों के साथ विभिन्‍न प्रकार की सीसीआई की स्‍थापना और अनुरक्षण के लिए कठिन परिस्‍थितियों की शिकार बच्‍चों की स्‍थिति का विश्‍लेषण करने के लिए सहायतानुदान के रूप में राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को वित्‍तीय सहायता प्रदान कर रही है । जेजे अधिनियम के तहत बनाई गई किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 अन्‍य बातों के साथ भौतिक अवसंरचना, वस्‍त्र, बिस्‍तर, पोषण एवं आहार तथा पुनर्वास के उपायों जैसे कि शिक्षा, व्‍यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि के लिए मानक निर्धारित करती है । इसके अलावा, सीपीएस 18 साल की आयु के बाद देखरेख पश्‍चात सेवाओं का भी प्रावधान करती है, ताकि स्‍वतंत्र जीवन में संस्‍था से पारगमन के दौरान उनकी सहायता की जा सके । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने संयुक्‍त रूप से एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्‍य किसी साथी के बगैर घर से भागे बच्‍चों एवं अवैध मानव व्‍यापार के शिकार बच्‍चों की देखरेख एवं संरक्षण सुरक्षा एवं कल्‍याण का सुनिश्‍चय किया जा सके, जो रेलवे के संपर्क में आ सकते हैं । समस्‍या के समाधान के लिए मार्च, 2015 में एक मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की गई तथा 19 मई, 2015 को रेल मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए । उपर्युक्‍त मानक प्रचालन प्रक्रिया के कार्यान्‍वयन के लिए प्रचालन के अनुदेशों में से एक चुनिंदा रेलवे स्‍टेशनों पर चाइल्‍ड हैल्‍प डैस्‍क की स्‍थापना थी । यह स्‍कीम विपदाग्रस्‍त बच्‍चों के लिए 24X7 आउटरीच हैल्‍पलाइन सेवा का समर्थन करती है । यह सेवा एक समर्पित टोल-फ्री नम्‍बर 1098 के माध्‍यम से उपलब्‍ध है जिसे संकटग्रस्‍त बच्‍चों द्वारा या उनकी ओर से प्रौढ़ों द्वारा भारत के भौगोलिक क्षेत्र में किसी स्‍थान से अक्‍सिस किया जा सकता है ।

 मंत्रालय द्वारा अवैध मानव व्‍यापार से निपटने के लिए उज्‍ज्‍वला नामक एक व्‍यापक स्‍कीम शुरू की गई तथा मुख्‍यत: एनजीओ के माध्‍यम से चलाई जा रही है । इस स्‍कीम के पांच घटक हैं - निवारण, वाणिज्‍यिक एवं शोषण के लिए अवैध मानव व्‍यापार के पीड़ितों का बचाव, पुनर्वास, पुन:एकीकरण एवं प्रत्‍यावर्तन । उज्‍ज्‍वला स्‍कीम के तहत कार्यान्‍वयन एजेंसियों को आगे वितरण के लिए राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन को निधियां जारी की जाती हैं ।

 बाल संरक्षण सेवा के तहत वित्‍त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान राज्‍य सरकारों को जारी की गई तथा प्रयुक्‍त की गई निधियों तथा राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदान का ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।** में संलग्‍न है । पिछले चार वर्षों के दौरान उज्‍ज्‍वला स्‍कीम के तहत जारी की गई निधियों का ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।।** में संलग्‍न है ।

\*\*\*\*\*

अनुलग्‍नक-I

**'बाल तथा महिला तस्करी के विरुद्ध किए गए उपाय' विषय पर श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2019 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2553 के उत्‍तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

सीपीएस के तहत वित्‍त वर्ष **2015-16, 2016-17** और वर्तमान वर्ष **2017-18** के दौरान राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी एवं प्रयुक्‍त की गई निधियों का ब्‍यौरा

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य का नाम**  | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** |
| **निर्मुक्‍त निधि** | **प्रयुक्‍त राशि** | **निर्मुक्‍त निधि** | **प्रयुक्‍त राशि** | **निर्मुक्‍त निधि** | **प्रयुक्‍त राशि** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 238.58 | 500.52 | 110.74 | 586.32 | 1469.88 | 1537.11 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 571.68 | 92.02 | 52.29 | 179.54 | 643.71 | 180.00 |
| 3 | असम | 597.90 | 1025.07 | 413.64 | 1112.98 | 2932.68 | 1787.53 |
| 4 | बिहार | 2687.89 | 1896.52 | 2787.92 | 1923.33 | 541.56 | 1633.69 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 3955.55 | 2086.26 | 527.77 | 1683.25 | 3181.97 | 2486.27 |
| 6 | गोवा | 235.25 | 39.68 | 36.83 | 98.27 | 728.53 | 54.44 |
| 7 | गुजरात | 2328.90 | 1510.37 | 769.95 | 1526.53 | 590.11 | 1767.24 |
| 8 | हरियाणा | 496.44 | 350.89 | 0.00 | 1224.85 | 1858.22 | 2500.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 604.04 | 1255.12 | 2345.48 | 2390.26 | 1835.01 | 1833.11 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 113.35 | 0.00 | 43.12 | 114.71 | 807.48 | 374.62 |
| 11 | झारखंड | 369.88 | 387.42 | 840.11 | 842.14 | 1714.57 | 1641.76 |
| 12 | कर्नाटक | 1845.24 | 2193.66 | 3720.80 | 3709.53 | 3272.45 | 1364.04 |
| 13 | केरल | 944.39 | 660.25 | 260.50 | 216.96 | 1849.45 | 1275.72 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 1116.03 | 2373.81 | 2503.88 | 2535.83 | 3262.77 | 2582.87 |
| 15 | महाराष्ट्र | 3138.75 | 1975.29 | 2272.33 | 1569.37 | 608.15 | 1308.75 |
| 16 | मणिपुर | 3082.18 | 1163.81 | 241.34 | 709.47 | 1886.33 | 2103.00 |
| 17 | मेघालय | 1469.55 | 1497.88 | 2060.33 | 2060.33 | 1846.60 | 1846.60 |
| 18 | मिजोरम | 2079.44 | 2079.44 | 1949.55 | 1949.55 | 1917.51 | 1917.51 |
| 19 | नागालैंड | 2257.65 | 1473.21 | 1350.37 | 1447.50 | 1457.45 | 1457.45 |
| 20 | ओडिशा | 3309.07 | 2669.74 | 1089.22 | 2580.78 | 2599.30 | 2773.86 |
| 21 | पंजाब | 820.81 | 515.57 | 581.67 | 718.31 | 143.24 | 875.43 |
| 22 | राजस्थान | 3258.92 | 2929.43 | 0.00 | 2267.52 | 4752.30 | 1295.98 |
| 23 | सिक्किम | 562.00 | 303.74 | 601.18 | 365.87 | 662.76 | 125.43 |
| 24 | तमिलनाडु | 825.04 | 4282.78 | 13039.37 | 3648.55 | 2013.12 | 5512.50 |
| 25 | तेलंगाना | 354.88 | 93.94 | 195.64 | 1823.98 | 894.82 | 633.08 |
| 26 | त्रिपुरा | 710.63 | 680.20 | 676.04 | 415.30 | 446.81 | 499.00 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 2884.18 | 3293.57 | 3207.19 | 3109.82 | 1830.67 | 4222.98 |
| 28 | उत्तराखंड | 66.88 | 3.89 | 15.54 | 187.54 | 907.57 | 731.40 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 508.67 | 1067.29 | 6763.87 | 3522.60 | 5073.56 | 4232.67 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 36.03 | 36.03 | 36.88 | 36.76 | 31.66 | 93.36 |
| 31 | चंडीगढ़ | 357.82 | 324.15 | 245.44 | 278.53 | 194.32 | 172.73 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 58.66 | 5.84 | 177.59 | 59.11 | 24.82 | 69.90 |
| 33 | दमन और दीव | 82.82 | 57.69 | 126.42 | 80.33 | 21.89 | 83.00 |
| 34 | दिल्ली | 1363.40 | 931.53 | 978.64 | 1024.94 | 354.33 | 1295.68 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -  |
| 36 | पुद्दुचेरी | 559.60 | 622.75 | 826.33 | 768.69 | 114.35 | 426.20 |

अनुलग्‍नक-II

**'बाल तथा महिला तस्करी के विरुद्ध किए गए उपाय' विषय पर श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2019 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2553 के उत्‍तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

**पिछले तीन वर्षों के दौरान उज्‍ज्‍वला स्‍कीम के तहत निर्मुक्‍त निधियों का ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र का नाम** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 71.99 | 238.05 | 122.27 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 9.75 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 385.22 | 280.88 | 365.59 |
| 4 | बिहार | 0 | 23.38 | 28.99 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 10.84 | 46.54 | 38.75 |
| 6 | गोवा | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 32.88 | 43.96 | 59.37 |
| 8 | हरियाणा | 7.31 | 14.78 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 |
| 11 | झारखंड | 0 | 0 | 0 |
| 12 | कर्नाटक | 265.66 | 235.52 | 329.27 |
| 13 | केरल | 31.57 | 24.21 | 39.48 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 7.06 | 8.54 | 10.59 |
| 15 | महाराष्ट्र | 304.75 | 287.41 | 294.45 |
| 16 | मणिपुर | 152.23 | 117.66 | 253.88 |
| 17 | मेघालय | 0 | 0 | 0 |
| 18 | मिजोरम | 92.5 | 21.67 | 26.87 |
| 19 | नागालैंड | 25.17 | 12.07 | 14.96 |
| 20 | ओडिशा | 233.02 | 307.24 | 250.62 |
| 21 | पंजाब | 0 | 0 | 0 |
| 22 | राजस्थान | 107.27 | 21.82 | 143.86 |
| 23 | सिक्किम | 10.51 | 0 | 24.82 |
| 24 | तमिलनाडु | 99.39 | 88.43 | 59.31 |
| 25 | तेलंगाना \* | 98.29 | 44.28 | 109.89 |
| 26 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 |
| 27 | उत्तराखंड | 22.92 | 53.56 | 82.05 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 48.57 | 89.53 | 111.18 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 50.17 | 0 | 84.34 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 |
| 31 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 |
| 33 | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 |
| 34 | दिल्ली | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 0 | 0 | 0 |
|  | **कुल** | **2067.07** | **2031** | **2450.54** |